

प्रेषक,
जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

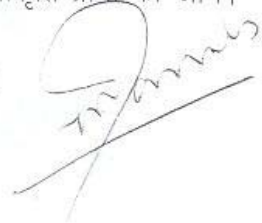
लखनऊ: दिनांक: ०१ जनवरी
दिसम्बर, 2009

विषय: वर्ष 2008-09 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2/कैम्प-2008, दिनांक 22.12.2008 तथा मण्डलायुक्त, सहारनपुर के पत्र संख्या-3644, दिनांक 22.12.2008 पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2008-09 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि रु0 4,01,33,000/- में से सिंचाई विभाग के अतिरिक्त कार्यों हेतु रु0 1,28,07,000/- (रुपये एक करोड़ अट्ठाइस लाख सात हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ ही साथ समय-समय निर्गत सुसंगत नियमों एवं शासकीय निर्देशों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंचाई विभाग के मरम्मत/रेस्टोरेशन की परियोजनायें बाढ़ एवं बादल फटने से प्रभावित हुई हैं तथा उक्त कार्य तात्कालिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत हैं।
2. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय बाढ़ एवं बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए आच्छादित क्षेत्र की परियोजना पर ही व्यय किया जाय।
3. आपदा राहत निधि की धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाय।



4. बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य दिनांक 31 जनवरी, 2009 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
5. शासनादेश संख्या-4370/1-10-2008-12(73)/2008-टीसी-3, दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोरेशन की परियोजनाओं पर ही किया जाय।
6. जिला स्तरीय आपदा समिति एवं मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक के कार्यवृत्त तथा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची शासन को एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।
7. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय समय-समय पर जारी शासनादेश में उल्लिखित दिशानिर्देशों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।
8. जनपद में अवशेष एवं कोषागार से अनाहरित आपदा राहत निधि की धनराशि रू0 273.26 लाख का समर्पण शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या - 6133 (1)/1-10-2008-12(73)/2008 टी0सी0-1, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार (लेखा)/ महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, सहारनपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/बजट सहायक राजस्व अनुभाग-10/ राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
5. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन एवं समर्पण की पत्रावली में रखने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिशिर कुमार आदव)

रूप सचिव।

(जी0 के0 टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव